

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी

साख सहयोग समिति लिमिटेड,

मुजफ्फरपुर-842001

निबंधन संख्या-01, मुजफ्फरपुर, (डी0आई0भी0)-92

आवेदक
का
नवीनतम
फोटो

पत्राक सं0.....

ऋण आवेदन-पत्र

सदस्यता संख्या:-

आवेदन की तिथि.....

सदस्य बनने की तिथि:-.....खाता सं0-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(जिसमें ऋण राशि का अंतरण होगा।)

1. सदस्य का नाम एवं पदनाम/श्रेणी:-

2. पिता/पति का नाम:-

3. कर्मचारी आई डी नं0-(Employee Id No.).....

4. बैंक में नियुक्ति की तिथि:-
D D / M M / Y Y Y Y

5. सेवा पुस्तिका के अनुसार जन्म तिथि:-
D D / M M / Y Y Y Y

6. स्थायी पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार).....

.....आधार नं0

7. वर्तमान पता:-

.....मोबाईल नं0.....

8. कुल मासिक वेतन:- (अंको में)..... (शब्दों में).....

9. नियंत्रक अधिकारी का नाम एवं पदनाम:-

10. आवेदित ऋण की राशि:- (अंको में)..... (शब्दों में).....

11. पूर्व में लिए ऋण का विवरण:- (अंको में)..... (शब्दों में).....

12. सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि:-
D D / M M / Y Y Y Y

13. सदस्य का पूर्ण हस्ताक्षर (जो बैंक में है).....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती/श्री/सुश्री..... द्वारा भरे गए उपरोक्त विवरण सही हैं। ऋण हेतु अनुशंसा की जाती है। आवेदक से ऋण की वसूली सहयोग समिति की मांग के अनुसार की जाएगी। इसकी जमानत दी जाती है कि, यदि ऋण की कुल राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/बैंक से हटने की तिथि तक यदि चुकता नहीं हुई है तो वह उसके भविष्य निधि या अन्य सेवानिवृत्ति निधियों से काट कर समिति को ऋण के भुगतान के लिए दी जाएगी। आवेदक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

शाखा प्रबंधक/नियंत्रक अधिकारी का मुहर एवं हस्ताक्षर

कृपया आवेदन में मांगी गई जानकारी को पूर्णरूपेण दर्शाएं। अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. ऋण का उद्देश्य:-.....

14. जमानतदारों के हस्ताक्षर, (जो समिति के सदस्य हों)

1) समिति सदस्यता संख्या:-.....

हस्ताक्षर (जो बैंक में है):-.....

नाम:-पिता/पति का नाम.....

पदस्थापन स्थान:-.....

सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि*:-

		/			/				
D	D		M	M		Y	Y	Y	Y

आधार नं०:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मोबाइल नं०:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) समिति सदस्यता संख्या:-.....

हस्ताक्षर (जो बैंक में है):-.....

नाम:-पिता/पति का नाम.....

पदस्थापन स्थान:-.....

सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि*:-

		/			/				
D	D		M	M		Y	Y	Y	Y

आधार नं०:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ओडी/एसबी खाता सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मोबाइल नं०:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रमाण-पत्र

मैं आवेदित ऋण के लिए समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए वचन देता हूँ/देती हूँ। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि, यदि ऋण की पूरी राशि मेरे वेतन से मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती अधिकार पत्र के आधार पर काटने पर भी शेष बची रहे तो मेरी बैंक से सेवानिवृत्ति या बैंक से हटने या हटाने के समय बैंक को यह अधिकार होगा कि शेष ऋण की राशि मेरे भविष्य निधि या अन्य निधियों से जो बैंक द्वारा मुझे देय होगी, काटकर समिति को ऋण की वापसी के लिए भुगतान करे। मैं अन्य किसी क्रेडिट सोसायटी का सदस्य नहीं हूँ।

आवेदक/आवेदिका का पूरा हस्ताक्षर

समिति के लिए

1. ऋण स्वीकृति के लिए समिति द्वारा की बैठक यदि कोई हो की तिथि:-.....

2. ऋण स्वीकृत राशि.....

3. नियम-शर्त यदि कोई हो.....

अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी
साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर-842001
निबंधन संख्या-01, मुजफ्फरपुर, (डी0आई0भी0)-92

ऋण बाँड

एतद् मैंसदस्य, दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी
साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर सभी की जानकारी के लिए घोषित करता/करती हूँ कि, मैंने समिति द्वारा
.....कार्य के लिए रु0.....(रु0
..... का ऋण प्राप्त किया है जो समिति ने अपने रजिस्टर्ड नियमावली के तहत बताए गए एवं
समय-समय पर परिवर्तनीय नियमों के तहत स्वीकृत किया है। मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि,

1. मैं समिति द्वारा निर्धारित रु0.....मासिक किस्त प्रतिमाह अपने वेतन से कटवाकर
बैंक द्वारा समिति के ऋण के भुगतान के लिए लगातार तब तक भेजता रहूँगा/भेजती रहूँगी जब तक ऋण की पूरी राशि का भुगतान
नहीं हो जाता तथा समिति बैंक को कटौती रोकने का आदेश निर्गत नहीं कर देती।
2. मेरे द्वारा साथ में संलग्न “ कटौती का अधिकार पत्र” अविकल्पी है तथा इसे बीच में रोकने या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन
करने का अधिकार मुझे नहीं है। समिति को यह अधिकार है कि, वह चाहे तो कटौती का राशि को घटा या बढ़ा सकती है।
3. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि, मैं ऋण की राशि अपने वेतन से काटकर मासिक किस्तों में भुगतान करूँगा/करूँगी और बिना
नागा किये तब तक भुगतान करता रहूँगा/ करती रहूँगी, जब तक ऋण की राशि का भुगतान नहीं हो जाता। समय-समय पर मेरे
पास धन की बचत की अवस्था में मैं सुविधानुसार किस्त के अलावे भी रकम जमा करता रहूँगा/ करती रहूँगी ताकि ऋण शीघ्र भुगतान
हो सके।
4. मैं समिति द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर परिवर्तनीय ब्याज देने का वचन देता/देती हूँ। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि,
ब्याज की रकम उसी प्रकार वसूल की जाएगी जिस तरह ऋण की मूल राशि वसूल होगी।
5. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि, ऋण की राशि मैं उसी कार्य में खर्च करूँगा/करूँगी जिस कार्य के लिए मैंने ऋण लिया है।
समिति के मांगने पर उसकी संतुष्टि के लिए मैं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/ देती हूँ। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ
रहा/रही तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऋण की राशि ब्याज सहित निर्धारित तिथि के पहले ही मुझसे वसूल कर ले । मैं
समिति की मांग के अनुसार ऋण भुगतान का वचन देता/देती हूँ तथा अपने को उत्तरदायी मानता/मानती हूँ।
6. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि, इस ऋण के संबंध में किसी तरह का प्रतिवेदन मैं बिना समिति की जानकारी के बैंक को नहीं
दूँगा/दूँगी तथा ऐसे प्रतिवेदन को मैं समिति द्वारा ही अग्रसारित करवाऊँगा/करवाऊँगी।
7. मैं समिति को यह वचन देता/देती हूँ कि, ऋण का पूर्ण भुगतान होने तक मैं अपने ऋण की मासिक कटौती राशि में परिवर्तन
करने, भविष्यनिधि विभाग को कोई निर्देश देने या ऐसे किसी कार्य से जिससे समिति का किसी प्रकार अहित होता हो आदि सभी
प्रकार के अधिकारों से वंचित करता/करती हूँ।
8. मैंने अपने वेतन से मासिक कटौती के लिए अपने नियंत्रक अधिकारी के नाम “ एक कटौती अधिकार पत्र” दिया है जो संलग्न
है। बैंक हर महीने इस अधिकार पत्र के आधार पर मेरे वेतन से कटौती करेगा मेरे खाते से समिति के खाते में जमा करने के लिए
भेजेगा। यदि मेरे सेवानिवृत्ति या बैंक से या अन्य सेवानिवृत्ति निधियों से जो मुझे भुगतान होगी, आवश्यक रकम काटकर समिति को
मेरे इस ऋण की पूरी तरह भरपाई तथा चुकता करने के लिए भेजेगा। और समिति से मेरे नाम पर कोई ऋण बकाया नहीं है का प्रमाण
पत्र लेगा।

9. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि वर्तमान में तथा समिति द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम मुझे मान्य होंगे। यदि मुझे कोई नियम मान्य नहीं होगा तो मैं समिति द्वारा लिया गया ऋण वापस कर दूंगा/दूंगी और तब उसका विरोध करूंगा/करूंगी।

मैं इन सभी शर्तों को मानते हुए पूर्ण होशो हवास में बिना किसी दबाव में एवम् अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह बाँड भरता/भरती हूँ, अपना हस्ताक्षर करता/करती हूँ ताकि समय पर काम आवे।

1. सदस्य का नाम एवं पदनाम / श्रेणी:—.....
2. सदस्य का हस्ताक्षर (जो बैंक में है).....
3. पिता/पति का नाम:—.....
4. स्थायी पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार).....
.....
5. वर्तमान पता:—.....
.....
6. पदस्थापन का स्थान:—.....

हम अद्योहस्ताक्षरी इस ऋण राशि के आवेदक ऋणों के जमानतदार होकर इस ऋण की भरपाई का वचन देते हैं तथा स्वेच्छा से जामीन बनते हैं तथा इसके एवज में हस्ताक्षर नीचे करते हैं। हम यह वचन देते हैं कि, हम व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से इस ऋण के वचनबद्ध होकर इसकी पूरी भरपाई के जिम्मेवार होंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की राशि बराबर वसूल होती रहे तथा इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आये। यदि ऋण की पूरी राशि किसी भी कारणवश आवेदक ऋणी से वसूल नहीं हो सकी तो हम बैंक को यह अधिकार देते हैं कि वह ऋण की बकाया राशि हमसे, किसी एक से या हम दोनों से संयुक्त रूप से मासिक किस्तों में वसूल करे। यदि इस प्रकार भी ऋण की राशि पूरी तरह वसूल नहीं होती है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि बैंक हमारे भविष्यनिधि रकम से या अन्य सेवानिवृत्ति निधियों से काटकर इस ऋण को पूरी तरह से चुकता कर दें। हम यह जामीन बिना किसी दबाव के अपने पूरे होशो हवास में तथा अपनी इच्छा से दे रहे हैं ताकि समय पर काम आवे।

तारीख.....

1. जमानतकर्ता का नाम:—.....समिति सदस्यता सं०.....
हस्ताक्षर (जो बैंक में है):—.....
पिता/पति का नाम:—.....
स्थायी पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार).....
.....मोबाइल नं०.....
2. जमानतकर्ता का नाम:—.....समिति सदस्यता सं०.....
हस्ताक्षर (जो बैंक में है):—.....
पिता/पति का नाम:—.....
स्थायी पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार).....
.....मोबाइल नं०.....

वेतन कटौती का अधिकार पत्र

- i) एतद् मैंपदनाम.....
पुत्र/पतिनिवासी.....
पोस्ट ऑफिसथाना.....
जिला.....उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में
कार्यरत तथा शाखा कार्यालयमें पदस्थापित,
सदस्य दि ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार
तथा उड़ीसा को-ओपरेटिव सोसाईटी अधिनियम) के तहत पंजीकृत घोषणा करता/करती हूँ कि,
मैंने समिति से रु0.....(रु0
.....) का ऋण लिया है जिसके एवज में मैंने
आवश्यक बाँड भरकर अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर दो जमानतकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर
कराकर समिति को सुपुद्र किया है। मैंने समिति का ऋण अपने वेतन से रु0.....
.....की मासिक किस्तों में भुगतान करने का अधिकार समिति को दिया है।
- ii) मैं एतद् बैंक को यह अधिकार देता/देती हूँ कि, वह प्रतिमाह मेरे वेतन से रु0.....काटकर
समिति को मेरे ऋण खाते में जमा करने हेतु भेजे। यह अधिकार पत्र अपरिवर्तनीय तथा अविकल्पी
है। यह कटौती तब तक चलती रहेगी, जब तक समिति इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है।
- iii) मैं यह भी वचन देता/देती हूँ और उसी तहत प्राधिकृत करता/करती हूँ कि, यदि मेरे सेवानिवृति या
बैंक से हटने या हटाये जाने के समय ऋण की राशि पूरी तरह चुक नहीं जाती उसमें बकाया शेष
रह जाता है, उस अवस्था में बैंक को यह अधिकार है कि, बैंक मेरे भविष्यनिधि या अन्य
सेवानिवृति निधियों से आवश्यक रकम काटकर समिति को भेजे और समिति से बकाया नहीं है
ऐसा प्रमाण पत्र पाने के बाद ही मुझे शेष रकम का भुगतान करे।
यह अधिकार पत्र मैं स्वेच्छा से अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दे रहा/दे रही हूँ ताकि बैंक
इसके अनुसार कार्रवाई कर सके तथा समय आने पर समिति के काम आवे।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर.....
आवेदक/ आवेदिका का नाम.....
पदस्थापन स्थान

शाखा प्रबंधक/ नियंत्रक अधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

वेतन विवरण

बैंक से प्राप्ति

मूल वेतन	रु0
पर्सनल वेतन	रु0
स्पेशल भत्ता	रु0
मंहगाई भत्ता	रु0
गाड़ी भत्ता	रु0

कुल प्राप्ति रु0

वेतन की कटौती

भविष्य निधि	रु0
जीवन बीमा	रु0
जी0एस0एल0आई	रु0
आयकर	रु0
गृह ऋण	रु0
सहकारी समिति ऋण	रु0
त्योहार ऋण	रु0
उपभोक्ता ऋण	रु0
गाड़ी ऋण	रु0
अन्य	रु0

कुल कटौती रु0

कुल प्राप्ति रु0

कुल कटौती रु0

शुद्ध वेतन प्राप्ति रु0

शाखा प्रबंधक
का हस्ताक्षर एवं मुहर

समिति कार्यालय के उपयोग हेतु कटौती विवरण

	रु0	पै0
मध्यावधि ऋण शेष		
अल्पावधि ऋण शेष		
शेष मूल्य		
सेवा शुल्क		
अन्य		
कुल कटौती		

स्वीकृत ऋण की राशि रु0

कुल कटौती रु0

कुल देय राशि रु0

सहायक का हस्ताक्षर

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय प्रभारी/ प्रधान सहायक

सचिव/निदेशक मंडल

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड,

मुजफ्फरपुर

महाशय,

मैं आपकी समिति का/की सदस्य हूँ। मेरी सदस्यता सं०.....है। मैं आपकी समिति की हिस्सा पूँजी आवंटन करने का अनुरोध करता/करती हूँ। मैं समिति द्वारा इससे कम या अधिक हिस्सा पूँजी आवंटन करने पर उसे स्वीकार करने का वचन देता/देती हूँ।

भवदीय

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर.....

आवेदक/आवेदिका का नाम.....

पदनाम

शाखा/ विभाग.....

दिनांक.....

अधिकार पत्र

दिनांक:-

पूरा नाम:-

पदनाम:-

वर्तमान पद.....

सेवा में,

शाखा प्रबंधक/ कार्यालय प्रबंधक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,

.....

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
से लिए गए ऋण के मासिक किस्तों के भुगतान हेतु

महोदय,

इस अधिकार पत्र के द्वारा मैं मेरे वेतन से रु0.(रु0.....

.....) की कटौती कर दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को प्रतिमाह ऋण के लिए मासिक देय के भुगतान हेतु अधिकृत करता हूँ।

पूरा नाम.....

भवदीय

शाखा/ विभाग

हस्ताक्षर

अधिकार पत्र

दिनांक:-

पूरा नाम:-

पदनाम:-

वर्तमान पद.....

सेवा में,

शाखा प्रबंधक/ कार्यालय प्रबंधक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,

.....

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
से लिए गए ऋण के मासिक किस्तों के भुगतान हेतु

महोदय,

इस अधिकार पत्र के द्वारा मैं मेरे वेतन से रु0.(रु0.....

.....) की कटौती कर दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी साख सहयोग समिति लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को प्रतिमाह ऋण के लिए मासिक देय के भुगतान हेतु अधिकृत करता हूँ।

पूरा नाम.....

भवदीय

शाखा/ विभाग

हस्ताक्षर

दि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/ अधिकारी
साख सहयोग समिति लिमिटेड,

मुजफ्फरपुर-842001

निबंधन संख्या-01, मुजफ्फरपुर, (डी0आई0भी0)-92

ऋण स्वीकृतादेश

पत्राक सं0.....

ऋण आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/सुश्रीपदनाम.....
शाखा.....पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार).....
.....

डाकघर.....जिला.....
को कुल रुपये(रु0.....की
ऋण स्वीकृत की गई है।

ऋण का उद्देश्य.....

सूद की दर

जमानतदार का नाम:-

1. श्री/श्रीमती/सुश्री.....समिति सदस्यता सं0.....

2. श्री/श्रीमती/सुश्री.....समिति सदस्यता सं0.....

ऋण की मासिक किस्त की राशि रु0.....

ऋण की वापसीमासिक किस्तों में।

ऋण लेने के एक माह के पश्चात किस्त की कटौती वेतन से की जानी है।

चेक संख्या:.....

दिनांक :.....

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष